कार्यालय जिला पंचायत, बाँदा

खनिज परिवहन शुल्क वसूली की संशोधित (अल्पकालिक) ई–निविदा सूचना

पत्रांक – 685 /तह बाजारी ठेका/2017–18/दिनांक – 25/08/2017

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत बांदा द्वारा जनपद बांदा अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरम, रेत या अन्य खनिज गिट्टी, पत्थर, बोल्डर, सुरखी, चूना, भस्सी, कोयला, बजरी, खारो से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में या जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग से परिवहन करने वाले शक्तिचालित वाहनों से शुल्क वसूली सम्बन्धी ठेका/नीलामी वर्ष 2017–18 (स्वीकृति तिथि से दिनांक – 31.03.2018 तक) के लिए पुनः ई–निविदा दिनांक –04.09.2017 को समय अपरान्ह 05.00 बजे तक ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाती है जिसके लिए टेण्डर फार्म ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in दिनांक–28.08.2017 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक–04.09.2017 को अपरान्ह 05.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। तकनीकी निविदा दिनांक–05.09.2017 को समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से खोली जायेगी। तथा वित्तीय निविदा दिनांक–05.09.2017 को अपरान्ह 04.00 बजे खोली जायेगी। दोनो ई–निविदा कार्यालय जिला पंचायत बांदा के अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में ससमय खोली जायेंगी। निविदादाता को अपने समस्त प्रमाण पत्र की स्कैन कापी निविदा के साथ ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://etender.up.nic.in पर अपलोड करना होगा तथा मूल प्रमाण पत्र शर्तो के अनुसार दिनांक–04.09.2017 को अपरान्ह 05.00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अनिवार्य रूप से कार्यालय जिला पंचायत, बांदा के अपर मुख्य अधिकारी कक्ष में सील्ड बाक्स में जमा कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदादाता के ई–निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। संशोधित शर्ते निम्नवत है।

1. पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या–472 दिनांक–19.07.2017 के प्रस्तर संख्या–18 में आंशिक संशोधन करते हुये वसूली स्थल निर्धारित किये जाते है। चयनित वसूली स्थल– जखौरा मोड़, भुरेड़ी, हटेटीपुरवा, तारा, छापर, कालेश्वर, पैलानी डेरा, कुल्लूखेड़ा, चन्दौर, लमेहटा, गिरवां, शंकरबाजार, लोहरा(ओझानगर), बदौसा होंगे, जिन पर खनिज परिवहन शुल्क की वसूली मा0 उच्च न्यायालय की रिट संख्या–66438/2015 दिनांक–04.01.2016 में पारित आदेश एवं जिला पंचायत बांदा में प्रचलित उपविधि में दिये गये प्रावधानों के अर्न्तगत की जायेगी। खनिज परिवहन शुल्क की वसूली राष्ट्रीय मार्गो को छोड़कर की जायेगी। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(रणमत सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत बांदा
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाँदा

(निर्मला सिंह)
अध्यक्ष
जिला पंचायत बांदा।
जिला पंचायत, बाँदा

कार्यालय जिला पंचायत, बाँदा

पत्रांक – /तह बाजारी ठेका/2017–18/दिनांक –

उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मा0 आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा को सादर अवलोकनार्थ।
4. मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, बॉदा को अवलोकनार्थ।

5. जिलाधिकारी, बांदा को अवलोकनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक महोदय, बॉदा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बांदा।
8. सिटी मजिस्ट्रेट बांदा को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त तिथियों में अपने समक्ष ई–निविदा खुलवाने का कष्ट करें।
9. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी जनपद–बॉदा को अपने नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
10. व्यवस्थापक प्रादेशिक समाचार पत्र दैनिक राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण व स्थानीय समाचार पत्र दैनिक श्री इण्डिया बॉदा को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में बांदा संस्करण में प्रकाशित कराकर दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
11. वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता (सदस्य नीलाम समिति) जिला पंचायत, बॉदा को इस आशय से प्रेषित कि वे निर्धारित समय में कार्यालय जिला पंचायत, बॉदा में उपस्थित रहकर उपरोक्तानुसार नीलामी कार्यवाही सम्पादित करायें।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बॉदा को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त विज्ञप्ति बांदा जिले की बेबसाइट http://banda.nic.in पर डाउनलोड कराने का कष्ट करें।
13. प्रभारी कोतवाली, शहर–बॉदा को इस आशय से कि वे निर्धारित तिथि में शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत, बॉदा।
15. कैशियर जिला पंचायत, बॉदा को इस निर्देश के साथ कि वे ई–टेण्डरिंग तिथि को टेण्डर दाताओं की जमानत व ठेका धनराशि आदि के बैंकर्स चेक/डीडी आदि जमा करायें।
16. समस्त राजस्व निरीक्षकों को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त नीलामी का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
17. जिला पंचायत, बॉदा के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बॉदा

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बॉदा

जिला पंचायत कार्यालय बॉदा